12-11-16

अपीलार्थी पप्पू उर्फ गजेन्द्र सहित श्री सुनील कांकर अधि०।

फरियादी रामजीलाल सहित श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा आवेदनपत्र पर आदेश हेतु नियत है।

फरियादीगण की ओर से एक राजीनामा अनुमति बाबत धारा—320(2) जा.फौ. का आवेदनपत्र मय फोटो चस्पा

करके पेश किया गया है। दोषसिद्ध अपराध धारा—325 भा0द0वि0 का है, उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति से स्वयं पक्षकार द्वारा शमनीय है। राजीनामा से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध कायम होने की संभावना है, अतः बाद विचार न्यायहित में फरियादीगण को आरोपीगण/अपीलार्थी पप्पू उर्फ गजेन्द्र से धारा—325 भा.द.वि. में राजीनामा करने की अनुमति बाद विचार प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी की पहचान श्री सुनील कांकर अधिवक्ता द्वारा एवं फरियादी की पहचान श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गयी है। राजीनामा विधि अनुकूल होने से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आलोक में आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराध धारा—325 भा.दं.वि० से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

आरोपी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड वापिस किया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड वापिस हो।

प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

(पी.सी) आर्य)

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.—20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के0सी0 उपाध्याय) (सदस्य) खण्डपीठ क.—20 गोहद जिला भिण्ड

कि0पीव राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क.—20 गोहद जिला भिण्ड

Aftertial & me STORY STANDS your hours - news 10 00 263 110 34 200 Co 7. 1. 14 8/00 340 200 Co 7. 1. 14 8/00 340 200 Co 7. 1. 14 8/00 340 200 Co 7. 1. 14 8/00 35 200 Co 7. 1. 14 8/00 35 200 Co 7. 1. 14 8/00 36 25 1/16 36 25 1/16